न्यायालय :– हरेन्द्र सिंह नाग,न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, डोंगरगढ़,
जिला–राजनांदगांव (छ.ग.)

सीआईएस क्रमांक. – 2116/2022

अपराध क्र. –649/2022

अभि. सं. दिनांक – 05/12/2022

CGRN07-002283-2022

राज्य द्वारा

आरक्षी केन्द्र डोंगरगढ

जिला–राजनांदगांव (छ.ग.) ....**अभियोजन**

–:: विरूद्ध ::–

लक्ष्मी कंवर पिता खेमचंद कंवर, उम्र 22 वर्ष,

निवासी ग्राम महराजपुर, पुलिस चौकी चिचोला,

थाना छुरिया, जिला राजनांदगांव (छ.ग.) ....**अभियुक्ता**

राज्य की ओर से सहायक लोक अभियोजन अधिकारी।

अभियुक्ता की ओर से श्री अशोक टेम्भूरकर अधिवक्ता।

–:: निर्णय ::–
(आज दिनांक 09/08/2023 को घोषित)

01. अभियुक्ता लक्ष्मी कंवर के विरूद्ध थाना डोंगरगढ के अपराध क्रमांक 649/2022 में धारा 34(1)(क) आबकारी अधिनियम, 1915 के अंतर्गत आरोप है कि उसने दिनांक 09.09.2022 के समय लगभग 14.30 बजे स्थान आईटीआई चौक डोंगरगढ अन्तर्गत थाना डोंगरगढ, जिला राजनांदगांव (छ.ग.) क्षेत्रांतर्गत् में एक काले रंग के पिट्ठू बैग के अन्दर 20 पौवा देशी प्लेन शराब

प्रत्येक में 180 एम.एल.कुल 3.600 एम.एल.शराब को बिना सक्षम प्राधिकारी के अनुज्ञप्ति या आदेश के विक्रय हेतु अपने आधिपत्य में रखा।

02. प्रकरण में स्वीकृत तथ्य कुछ भी नहीं है।

03. अभियोजन का प्रकरण संक्षेपतः इस प्रकार है कि घटना दिनांक 09.09.2022 को थाना डोंगरगढ पुलिस जब पेट्रोलिंग पर रवाना थी, उस दौरान मुखबिर से सूचना प्राप्त हुई कि एक महिला शराब बिक्री करने हेतु शराब लेकर जा रही है तथा आईटीआई चौक डोंगरगढ के पास साधन का इंतजार कर रही है । जिसकी सूचना पर मौके पर पहुंचकर उक्त महिला से पूछताछ किया गया जिसने अपना नाम लक्ष्मी कंवर होना तथा ग्राम महाराजपुर में निवास करना बतायी । अभियुक्ता के कब्जे से एक काले रंग के पिट्ठू बैग के अन्दर 20 पौवा देशी प्लेन शराब प्रत्येक में 180 एम.एल.कुल 3.600 एम.एल.शराब को गवाहों के समक्ष जप्त किया था। उसके उपरांत अभियुक्ता के विरूद्ध प्रकरण पंजीबद्ध कर अभियुक्ता के विरूद्ध अपराध सबूत पाए जाने पर अभियोग पत्र तैयार कर न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया था।

04. प्रकरण में अभियोग पत्र प्रस्तुत होने उपरांत अभियुक्ता के विरूद्ध धारा 34(1)(क) आबकारी अधिनियम, 1915 के अपराध का अपराध विवरण विरचित कर अभियुक्ता को अपराध की विशिष्टियां पढ़कर सुनाये व समझाये जाने पर अभियुक्ता के द्वारा स्वेच्छया अपना अपराध अस्वीकार कर विचारण किए जाने का निवेदन किया हैं। विचारण उपरांत अभियुक्ता के विरूद्ध साक्ष्य में आये तथ्य के संबंध में धारा 313 दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 के अधीन अभियुक्ता का स्पष्टीकरण लिया गया। अभियुक्ता को बचाव में प्रवेश कराये जाने पर अभियुक्ता ने स्वयं को निर्दोष होना कहते हुए अपने बचाव में कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया है।

05. प्रकरण के समुचित निराकरण हेतु मेरे द्वारा निम्न विचारणीय प्रश्न अवधारित किए गए है : –

क्या अभियुक्ता ने दिनांक 09.09.2022 के समय लगभग 14.30 बजे स्थान आईटीआई चौक डोंगरगढ अन्तर्गत थाना डोंगरगढ, जिला राजनांदगांव (छ.ग.) क्षेत्रांतर्गत् में एक काले रंग के पिट्ठू बैग के अन्दर 20 पौवा देशी प्लेन शराब प्रत्येक में 180 एम.एल.कुल 3.600 एम.एल.शराब को बिना सक्षम प्राधिकारी के अनुज्ञप्ति या आदेश के विक्रय हेतु अपने आधिपत्य में रखा। जिसे अभियुक्ता के कब्जे से जप्त किया गया है ?

विचारणीय प्रश्न का निष्कर्ष एवं उसके कारण

06. दांडिक न्याय शास्त्र का यह सुस्थापित विधिक सिद्धांत है कि अभियोजन को ही अभियुक्ता के विरूद्ध अपना प्रकरण प्रत्येक संदेह से परे सिद्ध करना होता है। अभियोजन द्वारा अपने पक्ष के समर्थन में साक्षी धनराज अ.सा.01, टमेश्वर अ.सा.02,आर.के.अनंत सहायक उपनिरीक्षक अ.सा.03 एवं सी.पी.सिंग, सहायक जिला आबकारी अधिकारी अ.सा.04 का परीक्षण कराया गया है।

07. साक्षी आर.के.अनंत सहायक उपनिरीक्षक अ.सा.03 जो कि प्रकरण का विवेचक है ने अपने साक्ष्य में उसके द्वारा घटना के संबंध में की गई संपूर्ण विवेचना की कार्यवाही को बताया है। साक्षी ने प्रतिपरीक्षण में यह स्वीकार किया है कि उसने घटनास्थल का नक्शा अनुमानतः बनाया है इसमें किसी प्रकार का माप पैमाना स्केल का प्रयोग नहीं किया है । साक्षी ने प्रतिपरीक्षण में यह भी स्वीकार किया है कि उसने घटनास्थल के आसपास रहने वाले लोगों को साक्ष्य सूची में शामिल नहीं किया है । साक्षी ने यह भी स्वीकार किया है कि प्रकरण में

संलग्न तहर्रीर आबकारी विभाग की पावती वाली तहर्रीर नहीं है । साक्षी ने प्रतिपरीक्षण में यह भी स्वीकार किया है कि उसने मूल रोजनामचा सान्हा एवं मालखाना जप्ती रजिस्टर की प्रति प्रकरण में संलग्न नहीं किया है ।

08. साक्षी सी.पी.सिंग सहायक जिला आबकारी अधिकारी अ.सा. 04 ने अपने साक्ष्य में दिनांक 19.09.2022 को थाना डोंगरगढ के अपराध क्र. 649/2022 धारा 34(1)(क)आबकारी अधिनियम में जब्तशुदा द्रव सीलबंद हालत में जांच हेतु प्रस्तुत किये जाने पर सील तोडकर परीक्षण कर रिपोर्ट प्रदर्श पी. 14 तैयार करना बताया है। साक्षी ने प्रतिपरीक्षण में स्वीकार किया है कि जो शराब उसके समक्ष परीक्षण हेतु भेजा गया था वह सीलबंद था किन्तु उक्त सील पर किसी का हस्ताक्षर नहीं था । साक्षी ने यह भी स्वीकार किया है कि उसने द्रव के रासायनिक परीक्षण की सलाह नहीं दिया था । साक्षी ने यह भी स्वीकार किया है कि प्रकरण में संलग्न तहर्रीर उसकी पावती वाली तहर्रीर नहीं है ।

09. साक्षी धनराज अ.सा.01 एवं टमेश्वर अ.सा.02 जो कि प्रकरण में जब्ती तथा विवेचना के अन्य कार्यवाहियों के साक्षी हैं उनके द्वारा मात्र दस्तावेजों में अपने हस्ताक्षरों को ही स्वीकार किया गया है। साक्षियो ने उनके सामने पुलिस द्वारा किसी भी प्रकार की कार्यवाही को किये जाने को स्पष्ट रूप से इंकार किया है। इस प्रकार साक्षियों ने पुलिस के जब्ती कार्यवाही को प्रमाणित नहीं किया है।

10. उपरोक्त साक्ष्य के विश्लेषण से यह दर्शित है कि अभियोजन के साक्षियों के द्वारा अभियोजन कहानी का समर्थन नहीं किया गया है। जिससे यह प्रमाणित नहीं किया जा सकता है कि थाना डोंगरगढ पुलिस द्वारा प्रकरण में जप्तशुदा एक काले रंग के पिट्ठू बैग के अन्दर 20 पौवा देशी प्लेन शराब प्रत्येक में 180 एम.एल.कुल 3.600 एम.एल.शराब को अभियुक्ता लक्ष्मी कंवर के पास से ही जप्त किया गया था।

फलतः अभियुक्ता लक्ष्मी कंवर को धारा 34(1)(क) आबकारी अधिनियम, 1915 के आरोप से दोषमुक्त किया जाता है।

11. प्रकरण में अभियुक्ता जमानत पर है उसके जमानत मुचलके भारमुक्त किये जाते हैं। अभियुक्ता की ओर से धारा 437 क द.प्र.सं. के परिपालन में प्रस्तुत स्वयं का बंधपत्र आगामी छः माह तक प्रवर्तनशील रहेगा तत्पश्च स्वतः समाप्त हो जायेगा।

12. प्रकरण में जप्तशुदा संपत्ति एक काले रंग के पिट्ठू बैग के अन्दर 20 पौवा देशी प्लेन शराब प्रत्येक में 180 एम.एल.कुल 3.600 एम.एल.शराब को अपील अवधि पश्चात् अपील न होने की दशा में नष्ट किया जावे। अपील होने पर माननीय अपीलीय न्यायालय के निर्देशानुसार निराकृत किया जावे।

निर्णय आज दिनांक को पदमुद्रा सहित हस्ताक्षरित कर घोषित।	मेरे निर्देशन पर टंकित।
sd/	sd/
(हरेन्द्र सिंह नाग) न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, डोंगरगढ,जिला राजनांदगांव(छ.ग.)	(हरेन्द्र सिंह नाग) न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, डोंगरगढ,जिला राजनांदगांव(छ.ग.)